

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० – 14/14-15

1. परिचयात्मक :-

(क)	अंकेक्षित लेखा का नाम –	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनपुर (सारण)
(ख)	अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि –	वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक।
(ग)	प्रशासी विभाग का नाम –	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
(घ)	अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम तथा कार्यकाल—	असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदा०, छपरा।
(ङ)	अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारीयों का नाम एवं पदनाम कार्यकाल –	(i) डॉ हरिशंकर चौधरी प्र० चि० पदा० दि०— 1.4.10 से अद्यतन (ii) श्री ओम प्रकाश सिंह लेखापाल सह रोकड़पाल दि०—1.4.10 से 31.7.13 तक
(च)	अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम :-	(i) डॉ हरिशंकर चौधरी प्र० चि० पदा० (ii) श्री विनोद कुमार, लिपिक
(छ)	अंकेक्षकों का नाम –	(i) श्री शिव बचन पंडित व०अ० – (1) (ii) „ मो० शफीक खान व०अ० – (2)
(ज)	अंकेक्षक प्रारंभण तिथि –	4.1.2014
(झ)	अंकेक्षण समाप्ति की तिथि –	24.4.2014
(ञ)	अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस	29.67 दिन औसतन

(ट)	अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची -	अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित हैं।
-----	--	--

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :-

- (i) अंकेक्षण का प्रकार - सामान्य
- (ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि - विभागीय ज्ञापांक 3286 दि०-15.9.60 एवं कार्यालय आदेश सं० 372 वि० अ० पटना दि० 19.12.13
- (3) कार्यालय का कार्य क्षेत्र - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनपुर सारण जिला के अन्तर्गत आता है। इसके अंतर्गत तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 25 स्वास्थ्य उप केन्द्र हैं। इस कार्यालय का मुख्य काम स्वास्थ्य से संबंधित कार्य सरकार के दिशा निदेश के अनुसार किया जाता है। इस कार्यालय का नियंत्रण पदाधिकारी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सारण होते हैं। इस कार्यालय का अंकेक्षण कार्य उपस्थापित अभिलेखों तक रहा।
- (4) वित्तीय स्रोत - सरकार से प्राप्त आवंटन परिशिष्ट 'ख' संलग्न।
- (5) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति - जिला कोषागार कार्यालय छपरा द्वारा प्रस्तुत कम्प्यूटरराइज विवरणी के आधार पर कोषागार से निकासी एवं जमा की गई राशि का शत प्रतिशत सत्यापन प्रा० स्वा केन्द्र सोनपुर के अभिलेखों से किया गया एवं सही पाया गया।
- (6) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति -

प्रतिवेदन अप्रस्तुत रहा। अतः अनुपालन नहीं किया जा सका।

- (7) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति -

अंकेक्षण प्रतिवेदन अप्रस्तुत/अतः अनुपालन नहीं किया जा सका।

(3) वित्तीय समीक्षा :-

- (i) आवंटन की स्थिति में - क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गई नहीं।
- (ii) अनुदान की स्थिति में - क्या अनुदान से अधिक राशि का व्यय किया गया।

- अनुदान प्राप्त नहीं था।

(iii) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया – प्राप्त नहीं था। इसलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का कोई प्रश्न नहीं था।

(4) रोकड़ पुस्त में संवरण शेष भौतिक सत्यापन की स्थिति – विभागीय पत्रांक 503 वि० अ० पटना दिनांक 29.1.76 में निस्ति निदेशानुसार अंकेक्षण प्रारंभण तिथि दि० 4.1.2014 को रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया एवं तत्संबंधित रोकड़ पुस्त में प्रमाण पत्र भी अंकित कर दिया गया। विवरणी निम्नवत है।

(1) नकद – शून्य

(2) बैंक में – 2870.00

कुल—रु० 2870.00

(5) रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति –

		दि०-31.3.11	दि०-31.3.12	दि०-31.3.13	अभ्युक्ति
(क)	नकद राशि	—	—	—	
(ख)	बैंक खाता में कुल राशि	—	—	1,20,052	
(ग)	बैंक खाता में सूद की राशि	—	—	—	
(घ)	अग्रिम की राशि	—	—	—	
(ङ)	असमायोजित अभिश्रव	—	—	—	
(च)	अन्य (वैंक ड्राफ्ट बैंकर्स चेक आदि)	—	—	—	
	कुल योग –	शून्य	शून्य	1,20,052	

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरणी प्रतिवेदन विवरणी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि स्वीकृत पदों के परिशिष्ट के विरुद्ध अनेक पद रिक्त है, जिससे कार्यालय के कार्यक्षेत्र के विकाश में बाधा पहुँचती है। अतः रिक्त पदों को भरने हेतु प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

भाग - 2

(5) रू0 9049.00 वसूली योग्य ।

(क) वेतन वृद्धि के रूप में रू0 633.00 का अधिक भुगतान वसूली योग्य ।

कार्यालय के कर्मचारियों के सेवा पुस्त एवं वेतन भुगतान की जाँच में पाया गया कि निम्नकित कर्मचारियों का वेतन वृद्धि के रूप में गलत भुगतान किया गया। जिसके फलस्वरूप अंकेक्षण अवधि में रू0 633.00 का अधिक भुगतान हो गया।

राज्यादेश संख्या 3 ए वे0 पु0 16/09-630 पटना दिनांक-21.1.10 के कंडिका (9) में स्पष्ट निदेश है कि @ 3% वेतन का लाभ देकर अगले 10 के पूर्णांकित में वेतन निर्धारण करना है, साथ ही साथ पैसा का भी त्याग कर देना है। लेकिन निम्नांकित कर्मचारी का पैसा का भी अगले 10 के पूर्णांकित कर वेतन निर्धारण कर भुगतान कर दिया गया अंकेक्षण अवधि में अधिक भुगतान की गई राशि की विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ध पर अंकित है। अंकेक्षण अवधि के पूर्व एवं बाद में भी अधिक भुगतान की गई। राशि का प्रशासी विभाग अपने स्तर से गणना कर वसूल किया जाय।

विवरण निम्नवत है :-

कर्मचारी नाम/पदनाम	का दिनांक (वेतन वृद्धि)	वेतन निर्धारित किया गया	वेतन निर्धारित होना चाहिए	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1. श्री राम केश्वर सिंह बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1.1.06	12080	12080	14030X@ 3%=420.90
	1.7.06	12450	12450	
	1.7.07	12830	12830	
	1.7.08	13220	13220	
	1.7.09	13620	13620	
	1.7.10	14030	14030	
	1.7.11	14460	14450	
	1.7.12	14900	14890	
2. श्री नवल किशोर सिंह, स्वच्छता निरीक्षक	1.1.06	16850	16850	17360X@ 3%=520.80
	1.7.06	17360	17360	
	1.7.07	17890	17880	
	1.7.08	18430	18420	
	1.7.09	18990	18980	

	1.7.10	19560	19550	
	1.7.11	20150	20140	
	1.7.12	20760	20750	

अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गई लेकिन अनुपालन संतोषपद नहीं रहा।

रु0 633.00 संबंधित कर्मचारी से वसूली कर कोषागार में जमा कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दिया जाय।

(ख) आवास किराया भत्ता के रूप में रु0 7536.00 का अधिक भुगतान किया जाना, वसूली योग्य :-

कार्यालय के कर्मचारियों का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र की जाँच में स्पष्ट हुआ कि श्री राम विलास बैठा बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता सोनपुर के झापांक 561 दिनांक-8.8.12 द्वारा अंतिम वेतन प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था जिसका वेतन भुगतान पंजी के पृष्ठ सं0 70 पर अंकित किया गया था। अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि 2512.00 की दर से चार किस्तों में यानि $2512 \times 4 = 10048.00$ का आवास किराया भत्ता के रूप में अधिक भुगतान की गई राशि का वसूल करना था। एक किस्त का 2512.00 का वसूली की गई थी। शेष तीन किस्त यानि $3 \times 2512 = 7536.00$ का वसूली करनी था।

वेतन भुगतान पंजी की जाँच में स्पष्ट हुआ कि रु0 7536.00 की वसूली अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं किया गया। आपत्ति निर्गत की गई, लेकिन अनुपालन संतोषप्रद नहीं रहा।

प्रशासी विभाग अपने स्तर से उचित कार्रवाई रु0 7536.00 संबंधित कर्मचारी से वसूल किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दिया जाए।

(ग) धुलाई भत्ता के रूप में रु0 120.00 का अनियमित भुगतान वसूली योग्य ।

वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि ज अमरेन्द्र प्रताप सिंह चि0 पदा0 सोनपुर को निम्नरूपेण धुलाई भत्ता के रूप में रु0 120.00 का भुगतान किया गया था, जो अनियमित है।

विवरणी निम्नवत है —

माह का नाम	विपत्र संख्या	राशि	भुगतान तिथि
मार्च '2011	1/11-12	60.00	10.5.11
अप्रिल '2011	2/..	60.00	13.5.11

कुल — 120.00

राज्यादेश सं० 3 ए वे०पु० (भत्ता) 17109=12422 वि० (2) दिनांक-31.2.2009 के अनुसार वैसे सरकारी सेवको जिनको वर्दी अनुमान्य है। पुलिस एवं नर्स को छोड़कर प्रतिमाह रू० 60.00 धुलाई भत्ता देय है। इस राज्यादेश के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारी को धुलाई भत्ता देय नहीं है।

अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गई लेकिन अनुपालन संतोषप्रद नहीं रहा।

अतः रू० 120.00 संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी से वसूल किया जाय तथा कोषागार में वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दिया कर सूचना जाए।

- (घ) सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारी से मानक कटौती नहीं किया जाना रू० 660.00 वसूली योग्य :-

वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि कुछ कर्मचारियों का सरकारी आवास आवंटित रहने के कारण आवास किराया भत्ता का भुगतान नहीं किया गया था। लेकिन सरकारी आवास का मानक कटौती भी नहीं किया गया था, जबकि मानक कटौती किया जाना था। विवरण इस प्रकार है :-

- (1) श्रीमती वीणा वर्मा ए० एन० एम० के वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में निम्नांकित अवधि में वह सरकारी आवास में रही थी।

मार्च 10 से अप्रिल 10 = 2 माह

मार्च 11 से फरवरी 13 = 24 माह

कुल- 26 माह

कार्यालय द्वारा बतलाया गया कि मई 2010 के फरवरी 11 तक मकान मरम्मत के कारण सरकारी आवास में नहीं थी।

इस प्रकार 26 माह X @ 22 (मानक कटौती) = 572.00 मानक कटौती की जानी चाहिए थी।

- (ii) श्री तौकिर खन चालक माह मार्च 10 से जून 10 यानि कुल = 4 माह सरकारी आवास में रहे थे। इस प्रकार श्री खान चालक से @ 22X4=88 मानक कटौती की जानी चाहिए था।

इस प्रकार $\text{रु0 } 572+88=\text{रु0 } 660.00$ मानक कटौती नहीं किया गया।

आपत्ति निर्गत की गई लेकिन अनुपालन संतोषप्रद नहीं रहा।

अतः प्रशासी विभाग अपने स्तर से उचित कार्रवाई कर संबंधित कर्मचारी से रु0 660.00 का वसूली की जाए तथा साथ ही साथ अंकेक्षण अवधि के पूर्व तथा बाद में मानक कटौती नहीं की गई राशि का गणना कर उसे भी वसूल कर जाए तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दी जाय।

- (ड) गणना की गलती के कारण रु0 100.00 का अधिक भुगतान वसूली योग्य :-

कार्यालय के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि विपत्र सं0 9841 दिनांक-16.1.12 के द्वारा तिरहुत खादी भंडार हाजीपुर वैशाली से वर्दी का कपड़ा का क्रय किया गया था। इसके विरुद्ध कार्यालय विपत्र सं0 153/11-12 द्वारा रु0 4420.00 का भुगतान दिनांक 31.3.12 को किया गया था।

वर्दी के अभिश्रव के योग की जाँच में पाया गया कि वास्तविक योग रु0 4320.00 होता है। इस प्रकार $4420-4320=100.00$ रु0 का अधिक भुगतान हो गया। आपत्ति निर्गत की गई लेकिन अनुपालन संतोषप्रद नहीं पाया गया।

अतः रु0 100.00 उत्तरदायी से वसूलकर कोषागार में जमा कर दिया जाए।

अतः उप कंडिका (क) +(ख)+(ग)+(घ)+(ङ) की राशि क्रमशः $633+7536+120.00+660+100=9049.00$ उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दिया जाए।

- (6) रु0 15,347.00 का अभिश्रव अप्रस्तुत व्यय आपत्तिअन्तर्गत।

शीर्ष 2210 मोबाईल के अतर्गत रोकड़ पुस्त की जाँच में पाया गया कि विपत्र सं0 146/11-12 द्वारा रु0 15,347.00 का रोकड़ पुस्त में भुगतान दिनांक-28.2.12 को किया गया था। यह भुगतान भारत संचार निगम लिमिटेड छपरा को किया गया था।

कार्यालय द्वारा संबंधित भुगतान से संबंधित विपत्र तथा अभिश्रव प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे भुगतान की सत्यता की जाँच नहीं किया जा सका।

प्रशासी विभाग अपने स्तर से स्वयं जॉच किया जाय फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए, तबतक रू0 15,347.00 के व्यय से आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है।

(7) दवा भंडार पुस्त में दवा की प्रविष्टि नहीं, आपत्तिअन्तर्गत।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनपुर के अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के दवा भंडार पंजी की जॉच एवं योग संतुलन क्रम में पाया गया कि प्राथमिक स्वा० केन्द्र से निर्गत दवा से कम दवा विभिन्न स्वा० उपकेन्द्रों के भंडार पुस्त में अंकित था। स्वा० उपकेन्द्रों का दवा वितरण पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया फलस्वरूप कम प्रविष्टि दवा के वास्तविकता की जॉच नहीं की जा सकी। कम प्रविष्टि दवा की पूर्ण विवणी परिशिष्ट "ड" पर अंकित है।

सूझाव दिया जाता है कि प्रशासी विभाग उक्त दवा मात्रा के वास्तविकता की जॉच कर से। दवा वितरण (व्यय) नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित दोषी व्यक्ति पर आवश्यक कार्रवाई सहित दवा का मूल्य वसूली योग्य होगा। तत्काल से आपत्तिअन्तर्गत रखा जाता है। दवा चूँकि राज्य स्तर से निर्गत एवं प्राप्त था अतः मूल्य तालिका कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सका। फलस्वरूप दवा के मूल्य की गणन नहीं की जा सकी। दवा की मूल्य का गणना किये जाने का भी सूझाव दिया जाता है।

(7) सामान्य भविष्य निधि अस्थायी अग्रिम के रूप में रू0 2,00,000.00 असामायोजित।

वेतन भुगतान पंजी की जॉच में पाया गया कि निम्नांकित कर्मचारियों को अस्थायी सामान्य भविष्य निधि अग्रिम के रूप में कुल रू0 2,00,000.00 का भुगतान किया गया था। विवरणी निम्नवत है :-

विपत्र संख्या	कर्मचारी का नाम पदनाम	अस्थायी भविष्य निधि अग्रिम की राशि	भुगतान राशि
1	2	3	4
31/10-11	श्री जितेन्द्र यादव, लिपिक	50,000.00	25.5.10
9/12-13	ओम प्रकाश सिंह, लिपिक	70,000.00	15.5.12
93/ ..	श्रीमति देवती देवी ए० एन० एम०	80,000.00	10.10.12

सामान्य भविष्य निधि अग्रिम का संबंधित कर्मचारी के वेतन से कटौती कर अग्रिम का समायोजन करना था, लेकिन अंकेक्षण क्रम में कटौती कर अग्रिम का समायोजन

नहीं पाया गया। अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गई, लेकिन अनुपालन संतोषप्रद नहीं पाया गया।

अतः उपर्युक्त कर्मचारियों द्वारा सामान्य भविष्य निधि से ली गई अस्थायी अग्रिम की कुल राशि रु0 2,00,000.0 का उनके वेतन से कटौती कर समायोजन कर लिया जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दी जाए।

- (8) अंकेक्षण के दृष्टान्त पर ¹⁷⁶⁰⁴⁼¹¹ रु0 ~~4700.00~~ की वसूली रु0 14734.00 वेतन के रूप में अधिक भुगतान की गई राशि का वेतन विपत्र से समायोजन कर की वसूली :-
- (क) कार्यालय के कर्मचारियों के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र की जाँच में पाया गया कि श्रीमती उषा कुमारी ए0 एन0 एम0 का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जो कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रा0 स्वा0 केन्द्र बनियापुर के पत्रांक 414 दिनांक- 4.10.10 द्वारा निर्गत किया गया था। वेतन भुगतान पंजी के पृष्ठ सं0 82 पर अंकित किया गया था। अंतिम वेतन प्रमाण पत्र पर यह अंकित किया गया था कि नवम्बर 2008 को दुबारा वेतन की निकासी की गई है, जिसकी वसूली करनी है। विवरण निम्नवत है -

वेतन	-	6125
महँगाई वेतन	-	3063
मं0 भत्ता	-	4962
गृह किराया भत्ता	-	459
चि0 भत्ता	-	100
धुलाई भत्ता	-	25

वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण प्रारंभण तिथि दिनांक 4.1.2014 तक वसूली नहीं की गई थी, फलस्वरूप आपत्ति निर्गत की गई। अनुपालन में बताया गया कि माह जनवरी 2014 के वेतन से विपत्र सं0 156/13-14 के द्वारा य0 14734.00 की वसूल कर ली गई है।

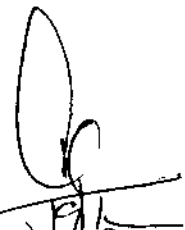
माह जनवरी 2014 के वेतन भुगतान पंजी से सत्यापन किया गया। जो कि सही पाया गया।

- (ख) कोषागार में जमा योग्य अवयवित राशि रु0 2870.00 कोषागार में जमा।

रोकड़ पुस्त की जांच में पाया गया कि वि०सं० 163/12-13 द्वारा रू० 217095.00 की निकासी कोषागार से दिनांक 23.3.13 को किया गया था। यह राशि गृह रक्षा को जो भुगतान के लिए निकासी किया गया था गृह रक्षा को भुगतान पंजी की जांच में पाया गया कि उपर्युक्त राशि में से मात्र रू० 2,14,225.00 का भुगतान दिनांक 30.3.13 को रोकड़ पुस्त में अंकित था।

इस प्रकार $2,17,095 - 2,14,225 = 2870.00$ रू० अवशेष रह गया रू० 2870.00 अवशेष राशि को कोषागार में जमा कर देना चाहिए था लेकिन अंकेक्षण के क्रम में जमा नहीं पाया गया। अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गई। अनुपालन में बतलाया गया कि रू० 2870.00 को कोषागार में चालान सं० 00068 दिनांक-24.3.14 को जमा कर दिया गया है। जमा की गई चालान से सत्यापन किया गया जो किसही पाया गया।

- (9) अंकेक्षक का मतव्य -
- रोकड़ पुस्त का संवरण शेष का भौतिक सत्यापन माह के अंत में 30 वीं एवं 31 वीं तारीख का अवश्य किया जाए।
 - कार्यालय में उच्च पदाधिकार का निरीक्षण प्रतिवेदन अवश्य रखा जाए।
 - अध्यवहत राशि को अविलंब कोषागार में जमा कर दिया जाय।
 - कोषागार से निकासी एवं जमा राशि का रोकड़ पुस्त में संधारण नियमित रूप से निकासी एवं जमा तिथि के अनुरूप किया जाए।
 - स्थायी सामानों का वर्ष में कम से कम एवं बार सक्षम पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन कराके प्रतिवेदन अवश्य रखा जाए।
 - अभिश्चवों का राशी संचिका में रखा जाए।


उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्ता का नाम एवं पदनाम -

- मो० ओबैदुल्लाह जावेद, व०अं०-2

परिशिष्ट – 'क' कंडिका 1 ट से संबंधित।

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

प्रस्तुत अभिलेख :-

- | | | |
|------|---|-------------------------|
| (1) | विपत्र पुस्त | वर्ष 2011 से 2012-13 तक |
| (2) | सहायक रोकड़ पुस्त 2210 मोवाइल | " " |
| (3) | सहायक रोकड़ पुस्त
2210 एन एम एस सी0 | " " |
| (4) | सहायक रोकड़ पुस्त
2211 (पॉच पद) | " " |
| (5) | सहायक रोकड़ पुस्त
2211 एन0एच0एस0सी | " " |
| (6) | अभिश्चव | " " |
| (7) | वेतन भुगतान पंजी | " " |
| (8) | यात्रा भत्ता भुगतान पंजी | वर्ष 11-12 एवं 12-13 |
| (9) | कर्मचारी का सेवा पुस्त | आंशिक |
| (10) | संविदा पर नियुक्त ए0एन0एम-
चिकित्सा पदाधिकारी ममता
कार्यकर्ता, गृह रक्षको का भुगतान पंजी। | वर्ष 12-13 |
| (11) | यात्रा भत्ता कार्यालय प्रति | — वर्ष 11-12 एवं 12-13 |
| (12) | भंडार पुस्त | — " " |
| (13) | आकस्मिक पंजी | — " " |
| (14) | रेमिटेंस पंजी | — " " |
| (15) | <u>दवा भंडार पुस्त</u> | |

स्वास्थ्य उप केन्द्र गोपालपुर वर्ष 10-11 से 12-13

“	“	दरियापुर	“	“
“	“	दुधौलागाछी	“	“
“	“	जहॉगीरपुर	“	“
“	“	नवल टोला	“	“
“	“	नजर मीरा	“	“
“	“	मुखदुमपुर	11-12 एवं	12-13
“	“	गोविंदचक	4.8.11 से	31.3.13
“	“	शाहपुर	12-13	

अतिरिक्त प्राथमिक स्वा० केन्द्र नौडिहा — 10-11 से 12-13

“	“	नयागॉव	—	“	“
“	“	पटना नदपुर	—	12-13	
“	“	शाहपुर दियरा	—	10-11 से	12-13 तक

(16) अवंटन व्यय पंजी स्व० आवंटन व्यय — 10-11 से 12-13 तक

(17) बैंक स्टेटमेंट भारतीय स्टेट बैंक सोनपुर लेखा सं० — 116633100040

अप्रस्तुत अभिलेख

(i) कर्मचारी की निजी संचिका — 10-11 से 12-13

(ii) दवा वितरण पुस्त — “ “

(iii) दवा भंडार पुस्त एवं वितरण पुस्त — स्वास्थ्य उपकेन्द्र बाजीतपुर, सिता बजाज, रसूलपुर, हासिलपुर शोभेपुर, खटिया, कसीभर, सबलपुर अढाईस, हस्ती टोला, बैजलपुर, कल्याणपुर, भरपुरा चौसिया, गंगाजल।

परिशिष्ट - 'ख' कंडिका - '3' से संबंधित।

आवंटन व्यय विवरणी वर्ष -2010-11 शीर्ष 2210 मोवाइल

क्र०	मद का नाम	आवंटन	व्यय	बचत	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	वेतनादि	96,61,320	72,73,525	23,87,795	23,87,795	कार्यालय द्वारा प्रत्यार्पित राशि से संबंधित अभिलेख जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।
2.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	9,60,000	9,60,000	—	—	
3.	यात्रा व्यय	14,700	—	14,700	14,700	
4.	कार्यालय व्यय	9400	—	9400	9400	
5.	वाहन का इंधन एवं रख रखाव	62,000	—	62,000	62,000	
6.	विद्युत प्रभार	10,000	—	10,000	10,000	
7.	वर्दी	5400	—	5400	5400	
8.	दूरभाष	24,000	—	24,000	24,000	

शीर्ष - 2210 एन०एच०एस सी० - वर्ष 2010-11

1.	वेतनादि	12,80,585	11,30,539	1,50,046	1,50,046	कार्यालय द्वारा प्रत्यार्पित राशि से संबंधित अभिलेख जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।
2.	यात्रा व्यय	2350	—	2350	2350	

शीर्ष - 2211 परिवार कल्याण (पॉच पद) - वर्ष 2010-11

1.	वेतनादि	16,25,424	12,58,521	366903	366903	तदैव
2.	चि० प्रतिपूर्ति	14,500	—	14,500	14,500	
3.	यात्रा व्यय	3000	—	3000	3000	
4.	कर - किराया	330	—	330	330	
5.	वर्दी	880	—	880	880	
6.	विद्युत प्रभार	1364	—	1364	1364	
7.	कार्यालय व्यय	3000	—	3000	3000	

शीर्ष - 2211 एन0एच0एस0सी0 - वर्ष 2010-11

1.	वेतनादि	88,91,260	64,36,008	2455252	24,55,252	
2.	चि0 प्रतिपूर्ति	66,000	—	66,000	66,000	
3.	वर्दी	13,225	—	13,225	13,225	
4.	विद्युत प्रभार	68,000	—	68,000	68,000	

परिशिष्ट - ख कडिका - 3 से संबंधित।

शीर्ष - 2210 मोवाइल - वर्ष - 2011-12

1	2	3	4	5	6	7
1.	वेतनादि	99,56,000	99,12,223	43,777	43,777	कार्यालय द्वारा प्रत्यार्पित राशि से संबंधित जॉच हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।
2.	यात्रा भत्ता	14,666	12,600	2066	2066	
3.	विद्युत प्रभार	24,000	24,000	—	—	
4.	वर्दी	5333	4420	913	913	
5.	कर किराया एवं महसूल	6666	—	6666	6666	
6.	दूरभाष	24000	15347	8653	8653	
7.	कार्यालय व्यय	9333	9318	15	15	

शीर्ष -2210 एन0एच0एच0सी वर्ष -2011-12

1.	वेतनादि	13,01,600	13,01,062	538	538	तदैव
2.	यात्रा भत्ता	2350	—	2350	2350	

शीर्ष -2211 एन0एच0एच0सी वर्ष -2011-12

1.	वेतनादि	26,39,990	25,99,197	40,793	40,793	तदैव
2.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	14,500	—	14,500	14,500	
3.	यात्रा भत्ता	5,000	5,000	—	—	
4.	कर किराया	450	—	450	450	

5.	वर्दी	400	—	400	400	
6.	विद्युत प्रभार	1900	—	1900	1900	
7.	कार्यालय व्यय	5,000	3492	1508	1508	

शीर्ष -2211 एन0एच0एस0 सी0 - वर्ष -2011-12

1.	वेतनादि	73,70,730	73,69,258	1472	1472	तदैव
2.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	66,666	—	66,666	66,666	
3.	वर्दी	11,483	—	11,483	11,483	
4.	विद्युत व्यय	49,733	—	49,733	49,733	

परिशिष्ट - 'ख' कंडिका - 3 से संबंधित।

शीर्ष - 2210 मोवाइल वर्ष -2012-13

1	2	3	4	5	6	7
1.	वेतनादि	1,70,52,384	16520633	5,31,751	5,31,751	कार्यालय द्वारा प्रत्यार्पित राशि संबंधित जॉच हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।
2.	यात्रा व्यय	6700	1340	5360	5360	
3.	कार्यालय व्यय	9400	1880	7520	7520	
4.	दूरभाष	6000	1969	4031	4031	
5.	विद्युत प्रभार	24000	24000	—	—	
6.	विधि प्रभार	700	—	700	700	
7.	किराया महसूल एवं कर	6666	—	6666	6666	
8.	सामग्री एवं आपूर्तियाँ	4960	—	4960	4960	
9.	व्यय संचिका मद	27,03,533	19,65,409	7,38,124	7,38,124	तदैव

शीर्ष - 2210 एन0एच0एस0सी0 वर्ष -2012-13

1	2	3	4	5	6	7
1.	वेतनादि	17,11,680	16,81,403	30,277	30,277	तदैव
2.	यात्रा व्यय	400	—	400	400	

शीर्ष - 2211 एन0एच0एस0सी0 वर्ष -2012-13

1	2	3	4	5	6	7
1.	वेतनादि	60,34,120	60,10,729	23,391	23,391	तदैव
2.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	66,666	—	66,666	66,666	
3.	वर्दी	9900	—	9900	9900	
4.	विद्युत व्यय	49,733	—	49,733	49,733	

शीर्ष - 2211 परिवार कल्याण (पॉच पद) वर्ष -2012-13

1	2	3	4	5	6	7
1.	वेतनादि	31,19,540	30,87,051	32,489	32,489	तदैव
2.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1000	—	1000	1000	
3.	यात्रा व्यय	500	—	500	500	
4.	कार्यालय व्यय	800	—	800	800	
5.	कर किराया भत्ता	225	—	225	225	
6.	वर्दी	400	—	400	400	
7.	विद्युत प्रभार	1900	—	1900	1900	

परिशिष्ट - ग कंडिका - 4 से संबंधित।

(4) शीर्ष 2210 मोबाइल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनपुर

1	2	3	4	5	6
1.	चिकित्सा पदाधिकारी	1	1	—	
2.	लिपिक	1	1	—	
3.	स्वच्छता निरीक्षक	1	1	—	
4.	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3	—	3	
5.	महिला स्वास्थ्य पर दर्शिका	1	1	—	
6.	ए0 एन0 एम	3	3	—	
7.	चालक	1	—	1	
8.	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	5	1	4	
	कुल -	16	8	8	

(5) शीर्ष 2210 एन0एच0एस0सी (बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता)

1.	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता	4	3	1
2.	महिला परिवार कल्याण कार्यकर्ता	3	1	2
	कुल -	7	4	3

(6) शीर्ष 2211 (पॉच पद)

1.	चिकित्सा पदा०	1	1	—
2.	लिपिक	1	1	—
3.	संगरक्षक	1	1	—
4.	चालक	1	1	—
5.	प्रखंड प्रसार प्रशिक्षक	1	—	1
	कुल —	5	4	1

(6) शीर्ष 2211 एन०एच०एस०सी

1.	महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका	1	1	—
2.	ए०एन०एम०	24	22	2
	कुल —	25	23	2

परिशिष्ट - ग कंडिका - 4 से संबंधित।

स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरणी (1) अतिरिक्त प्राथमिक केन्द्र नौडिहा

जिला- सारण

शीर्ष -2210 मोवाइल

क्र0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अधिक/कम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	चिकित्सा पदाधिकारी	2	2	-	
2.	स्वास्थ्य प्रशिक्षक	1	1	-	
3.	लिपिक	1	1	-	
4.	ए0एन0एम0	2	2	-	
5.	प्रयोगशाला प्रावैधिक	1	1	-	
6.	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	2	2	-	
7.	फर्मासिस्ट	1	X	1	
कुल -		11	9	2	

(2) अति0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नया गॉव, सोनपुर, सारण शीर्ष - 2210

1.	चिकित्सा पदाधिकारी	2	2	-	
2.	लिपिक	1	1	-	
3.	स्वास्थ्य प्रशिक्षक	1	1	-	
4.	एस0एन0एम	2	2	-	
5.	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	2	2	-	
6.	महिला वार्ड टेडेंट	1	1	-	
7.	फर्मा सिस्ट	1	-	1	
8.	ड्रेसर	1	-	1	
कुल -		11	9	2	

(3) अति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सबलपुर सोनपुर, सारण शीर्ष -2210

1.	चिकित्सा पदाधिकारी	2	1	1	
2.	लिपिक	1	-	1	
3.	एस0एन0एम	2	2	-	

4.	झाडु कश	1	1	—	
5.	फर्मा सिस्ट	1	—	1	
6.	ड्रेसर	1	—	1	
7.	प्रयोगशाला प्रावैधिकी	1	—	1	

परिशिष्ट - 'घ' कडिका - 5 (क) से संबंधित।

वेतनादि मद में अधिक भुगतान की गई राशि की विवरणी।

क्र०	कर्मचारी का नाम पदनाम	अवधि	प्रतिमाह भुगतान की गई राशि	प्रतिमाह भुगतान योग्य राशि	कुल माह की सं०	अधिक भुगतान की गई राशि				अभ्युक्ति
						वेतन	म०भत्ता	आवास किराया भत्ता	कुल	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री राम केशवर सिंह पु० स्वा कार्यकर्ता	जुलाई 2011 से दिसम्बर 2011	14460	14450	6	60	35	5	100	1.7.10 का वेतन 14030 का 3%=420.80
	"	जनवरी 2011 से जून 2012 तक	14460	14450	6	60	39	5	104	
	"	जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 तक	14900	14890	6	60	43	5	108	
	"	जनवरी 2013 से मार्च 2013 तक	14900	4890	3	30	24	2	56	
		-	-	कुल -		210	141	17	368	

2.	श्री नवल किशोर सिंह स्वच्छता निरीक्षक	अप्रिल 10 से जून 10 जुलाई 10 से दिसम्बर 10 जनवरी 11 से जून 11 जुलाई 11 से अगस्त 11	18990 19560 19560 20150	18980 19550 19550 20140	3 6 6 2	30 60 60 20	11 27 31 12	2 5 5 2	43 92 96 34	1.9.11 से ए0सी0पी0 प्रोन्नति का वेतन निर्धारित परन्तु भुगतान नहीं।
				कुल -		170	81	14	265	

1. श्री रामकेश्वर सिंह - 368

2. „ नवल किशोर सिंह - 265

कुल - 633

परिशिष्ट 'ड' कंडिका - 7 से संबंधित।

दवा भंडार पुस्त में कमी पाई गई दवाइयों की विवरणी।

क्र०	दवा का नाम	अवधि/दिनांक को दवा की स्थिति	वास्तविक दवा की सं०	भंडार पुस्त में दिखाई गई दवा की सं०	अंतर कमी	स्वा० उपकेन्द्र का नाम	दवा भंडार पुस्त की सं०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	फेरस सल्फेट एवं फोलिक एसिड	30.3.11	1800	शून्य	1800	दरियापुर	47
2.	कॉपर टी	30.9.10	24	शून्य	24	..	35
3.	ओमेक्स साइट्रीन सिरप	31.3.13	110	शून्य	110	..	10
4.	कॉटन	30.11.12	1	शून्य	1	..	12
5.	पी०सी०एम०	30.11.12	200	शून्य	200	..	5
6.	सिटरीन	30.9.12	65	शून्य	65	..	4
7.	कॉपर टी	31.3.11	5	शून्य	5	दुधैला गाछी	4
8.	..	..	5 पॉकेट	शून्य	5 पॉकेट	..	5
9.	सिपरा फ्लैक्सीन टैब	31.3.12	10	शून्य	10	..	4
10.	एल० बेडा जोल टैब	31.12.11	31	23	8	नजर मीरा	9

11.	इबु प्रोफेन टैब	30.4.11	50	48	2	..	33
12.	पारासिटा मोलटैब	15.9.11	185	175	10	मखदुमपुर	9
13.	फोलिक एसिड एवं फेरस सल्फेट	1.2.12	3340	3240	100	..	25